किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संचालित योजनायें

(1)राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाय.)

जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निम्नानुसार परियोजनाएं संचालित हैं :-

1 **डीजल/विद्युत पंप वितरण –** सभी श्रेणी के कृषकों को 5 से 10 हार्स पावर के डीजल/विद्युत पंप हेतु लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 10,000/– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है। यह परियोजना पूरे प्रदेश में कियान्वित है।

2 **नलकूप खनन पर अनुदान –** सामान्य श्रेणी के समस्त कृषकों को नलकूप खनन हेतु लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 25,000/–, जो भी कम हो, अनुदान है। सफल नलकूपों पर पंप स्थापित करने हेतु रूपये 15,000/– या लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3 **कूप खनन पर अनुदान –** सभी श्रेणी के 1 से 5 हैक्टयर असिंचित जोत सीमा के कृषकों को लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 80,000/– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट बुन्देलखंड क्षेत्र के जिलों में कियान्वित है।

<u>बीज पर अनुदान</u>

प्रजनक बीज क्रय अनुदान–सभी फसलों के प्रजनक बीज क्रय पर भारत शासन द्वारा निर्धारित दरों पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है।

बीज उत्पादन पर अनुदान–सोयाबीन के आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन पर सामान्य श्रेणी के कृषकों को रू. 700 प्रति क्विंटल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये कृषकों के लिये रूपये 900/– प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

प्रमाणित बीज वितरण अनुदान – 10 वर्षो के अंदर की किस्मों के लिये रू. 500 प्रति क्विंटल एवं 10 वर्षो से ऊपर की किस्मों के लिये रू. 200 प्रति क्विंटल मोटा अनाज फसलों का बीज वितरण अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

4 **प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम (माइनर मिलेट) –** कोदो, कुटकी, रागी एवं सावा के प्रजनक बीज क्रय पर अनुदान देय है। कोदो, कुटकी, रागी एवं सावा के आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वर्ष के अंदर की किस्मों हेतु रूपये 1000/– प्रति क्विंटल एवं 10 वर्ष से अधिक की किस्मों हेतु रूपये 500/– प्रति क्विंटल बीज वितरण अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

5 **अनुदान पर स्प्रिंकलर पाईप लाइन एंव ड्रिप का वितरण –** इस वर्ष स्वीकृत कराये गये प्रोजेक्ट में कृषकों को स्प्रिंकलर हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 7500/– प्रति स्प्रिंकलर सेट पाइप लाइन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 15000/– प्रति तथा ड्रिप सिस्टम हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 25000/– प्रति सिस्टम अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना से 30 प्रतिशत टाप अप अनुदान दिया जाता है।

6 **न्यूट्रियेन्ट मैनेजमेंट –** कृषकों की भूमि के स्वास्थ संवर्धन हेतु राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी कल्चर क्रय करने हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 100/– प्रति हैक्टर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है इसी प्रकार जिंक सल्फेट के लिये लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 500/– प्रति हैक्टर अनुदान दिया जाता है।

7 **बीज उपचार –** इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कृषकों को बीज उपचार के लिये लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 100/– प्रति हैक्टर के मान से बीज उपचार हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।

विशेष कार्यक्रम –

व **संकर मक्का –** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों का संकर मक्का के उत्पादन में वृद्धि हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर संकर मक्का बीज का वितरण। (आर.के.व्ही.वाई योजना से 50 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत अन्नपूर्णा योजना से अनुदान दिया जावेगा।)

(2)बीज ग्राम योजना

प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित ग्रामों में यह योजना, कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण तथा अधोसंरचना विकास आदि उद्देश्यों से संचालित की जा रही है ।

यह योजना सभी वर्ग के कृषकों हेतु लागू है । जिला कृषि कार्यालय के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अपने विकास खण्ड के चयनित ग्रामों में योजना का कियान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है ।

अनुदान–प्रत्येक चयनित कृषक को आधा एकड़ के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर आधार/प्रमाणित बीज प्रदान किया जाता है । योजना तहत प्रशिक्षण में 3 प्रमुख फसल अवस्थाओं : बोनी के समय, फूल अवस्था तथा कटाई के समय कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाते है ।

उन्नत भण्डारण पात्र– बीज भंडारण हेतु 10 क्विंटल भंडार कोठी के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों को निर्धारित कीमत का 33 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1500/– तथा 20 क्विंटल भंडार कोठी पर कीमत का 33 प्रतिशत या रूपये 3000/– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है ।

सामान्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान – **अ.** 10 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रूपये 1000/– तथा **ब.** 20 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रूपये 2000/– जो भी कम हो देय होगा ।

(3) अन्नपूर्णा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

उद्देश्य – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने मे असमर्थ होते हैं, ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

बीज अदला–बदली – कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किये जाते हैं। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू. 1500/– की पात्रता होती है। कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होती है।

बीज स्वावलम्बन – कृषकों की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।

बीज उत्पादन – शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिये जाते हैं। कृषकों को आधार /प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। अधिकतम 1 हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होती है। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जाता है। उत्पादित प्रमाणित बीज, आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जाता है।

(4)सूरजधारा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

उद्देश्य – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।

बीज अदला बदली – कृषकों द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते हैं। कृषकों द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जावेगा। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।

बीज स्वावलम्बन – कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जावेगा।

बीज उत्पादन – तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार / प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर 1 हैक्टर तक के लिये प्रदाय किया जाएगा। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जावेगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा।

(5) बैलगाड़ी अनुदान

बैलगाड़ी के क्रय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों को 4 हैक्टर जोत तक के अनुदान की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

- बैलगाड़ी के क्रय हेतु कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 10,000/– प्रति बैलगाड़ी जो भी कम हो देय होगी।

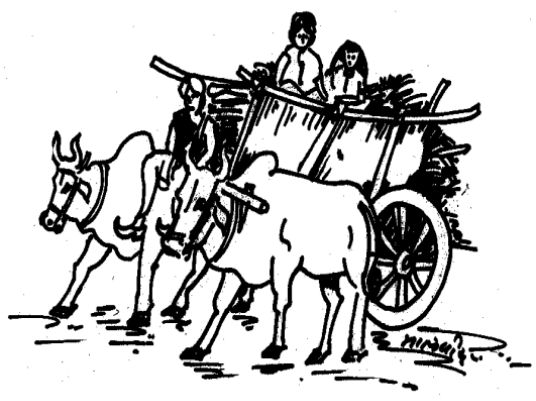

- बैलगाड़ी पर अनुदान केवल उन्हीं कृषकों को देय होगा जिनके पास पूर्व से बैलजोड़ी उपलब्ध हो किन्तु बैलगाड़ी नहीं हो। उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा जिन्हें पशुपालन विभाग से बैल जोड़ी प्रदाय की गई हो वे किसान योजना के पात्र होंगे।

(6) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत केंद्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुआयामी योजना है। धान, गेहूं और दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उन क्षेत्रों में संचालित है जहॉ इन फसलों की उत्पादकता कम है। योजना का उद्देश्य सतत रूप से तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना और कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। योजना के तीनों घटकों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं निम्न हैं –

(अ) गेहूं घटक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं फसल के लिये योजना का क्षेत्र विस्तार प्रदेश के 30 चयनित जिले–रायसेन, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, हरदा, सीहोर, इंदौर, खंडवा, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, गुना, शिवपुरी, भिण्ड, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, शहडौल, सीधी, डिंडौरी, कटनी, मंडला, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट हैं।

अनुदान वितरण –

- **डी.एस.आर. पद्धति पैकेज का समूह प्रदर्शन** 1 हैक्टेयर क्षेत्र प्रति प्रदर्शन रू. 12,500 प्रति हैक्टर (धान रूपये 7500/– . गेहूं रूपये 5000/– प्रति हैक्टयर अुनदान)
- प्रमाणित बीज वितरण – रू. 500 प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान।
- **सूक्ष्म पोषक तत्व/जिप्सम/पौध संरक्षण रसायन** रू.500/–प्रति हैक्टर या लागत का 50:, अनुदान।
- **जीरो टिलेज सीड ड्रिल** लागत का 50 :, अथवा रू. 15,000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।
- **रोटावेटर** लागत का 50:, अथवा रू. 30,000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।
- **रिज फरो प्लांटर** रू. 15,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
- **लेजर लेण्ड लेवलर** रू. 1,50,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
- **मल्टीक्राप प्लांटर** रू.15,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 :, जो भी कम हो।
- **नेपसेक स्प्रेयर** रू.3000/– प्रति स्प्रेयर या कीमत का 50 :, जो भी कम हो।
- **सीड ड्रिल** रू.15,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 :, जो भी कम हो।
- **स्प्रिंकलर सेट** रू.7500/– प्रति हैक्टर या कीमत का 50 :, जो भी कम हो।
- **डीजल पंपसेटों के लिये प्रोत्साहन (10 हार्स पावर तक)** लागत का 50: अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो।
- **पाइप लाइन –** 50 प्रतिशत या रूपये 15,000/– जो भी कम हो।
- **फसल पद्धति आधारित किसानों का प्रशिक्षण –**रू.14000/–प्रति प्रशिक्षण (प्रति वर्ष 30 किसानों के लिये 4 प्रशिक्षण सत्र)

(ब) दलहन घटक

यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जिलों में दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि के लिये चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अनुदान सहायताओं का विवरण इस प्रकार है–

1. **बीज**
   - **प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता** – 10 वर्ष से कम प्रजाति रू. 22/– प्रति किलो तथा 10 वर्ष से अधिक प्रजाति पर रू.12/– प्रति किलो बीज।
2. **समूह प्रदर्शन –** 1 हेक्टर प्रदर्शन हेतु रूपये 5000/– सहायता।

3. **समेकित पोषक तत्व प्रबंधन** – सूक्ष्म पोषक तत्व 50ः, या रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो। अधिकतम रू. 750/– चूना एवं जिप्सम के लिये तथा कलचर रू.100/– प्रति हैक्टर।

4. **समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम)**– 50ः, या रू. 750/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

5. **पौध संरक्षण औषधि** – 50 ः,या रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

6. **नींदा नाशक** – 50ः, या रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

7. **स्प्रिंकलर सेट का वितरण** सभी श्रेणी के कृषकों को 50 ः, या रू. 7500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

8. **नेपसेक स्प्रेयर** रू. 3000/– या कीमत का 50 ः, जो भी कम हो।

9. **सीड ड्रिल** रू.15,000/–या कीमत का 50 ः, जो भी कम हो।

10. **रोटावेटर** लागत का 50ः अथवा रू. 30,000/– जो भी कम हो

11. **जीरो टिलेज सीड ड्रिल** लागत का 50 ः, अथवा रू. 15,000/– जो भी कम हो।

12. **मोबाइल स्प्रिंकलर रेन गन** – लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 15,000/– जो भी कम हो।

13. **डीजल पंप सेटों के लिये प्रोत्साहन (10 हार्सपावर तक)**– 50ः, अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो।

14. **पाइप लाइन** – 50ः, अथवा रू.15000/– प्रति सेट जो भी कम हो।

15. **फसल पद्धति आधारित किसानों का प्रशिक्षण** –रू.14000/–प्रति प्रशिक्षण (प्रति वर्ष 30 किसानों के लिये 4 प्रशिक्षण सत्र)

राखासुमि की मदद से

(7) दलहन विकास ए–3 पी योजना

उद्देश्य–दलहनी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत पौध संरक्षण प्रबंधन तथा उत्पादन तकनीक पर केन्द्रित ब्लाक प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को दलहनी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि के प्रयोग अपनाने के लिये प्रेरित करना।

बीज मिनिकिट–0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिये अरहर, मूंग, उड़द के 4 कि. ग्रा., मसूर 8 कि.ग्रा. एवं चना–16 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर निःशुल्क बीज दिया जाता है।

जिप्सम – 250 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर निःशुल्क वितरण।

माइक्रो न्यूट्रियेंट– सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक सल्फेट, बोरेक्स, फेरस सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रियेंट मिक्सचर) 25 कि.ग्रा. निःशुल्क वितरण।

राइजोबियम/पी.एस.बी. कल्चर–प्रत्येक कल्चर के 200 ग्रा. के 3–3 पैकेट निःशुल्क वितरण।

यूरिया का फोलियर छिड़काव –10 कि.ग्रा. यूरिया छिड़काव हेतु निःशुल्क वितरण।

बीजोपचार – थाइरम 2 ग्राम, 1ग्राम कारबेन्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपचार।

कीटनाशक/फफूंदनाशक/बायो एजेन्ट एवं जैविक कीटनाशक– आवश्यकतानुसार रसायन, कीटनाशक फफूंदनाशक बायोएजेन्ट एवं जैविक कीटनाशक/फेरोमेनट्रेप एवं ल्यूर (आई.पी.एम.) की अनुशंसा अनुसार।

नींदानाशक – 2.5 लीटर प्रति हैक्टर निःशुल्क वितरण।

ई–पेस्ट सर्वेलेंस – अरहर, मूंग, उड़द, चना एवं मसूर फसलों के लिये ई–पेस्ट सर्वेलेंस कार्यक्रम लागू किया गया है।

(8) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाएं

1. **कृषि नेट परियोजना –**

प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कृषि सूचना तन्त्र प्रणाली, कृषिनेट (एग्रिसनेट) परियोजना प्रदेश में कियान्वित है।

कृषि नेट – कृषकों के लिये प्रमुख सेवाएं

विभिन्न फसलों की उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी।

- फसल प्रबंधन तकनीकों एवं भूमि एवं जल प्रबंधन तथा संवर्धन ।
- फसलों में कीट–व्याधि की पहचान, प्रकोप एवं उनका सामयिक उपचार।
- कार्यक्रमों एवं कृषि गतिविधियों की जानकारी।

सेवा प्रदाय केन्द्र

- जिला से लेकर विकासखण्ड स्तर तक विभागीय किसान सूचना केंद्र।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये गये नागरिक सेवा केन्द्र।
- कृषि उपज मण्डियों के ई–कियोस्क ।
- जिले के समस्त निजी सूचना केन्द्र/इन्टरनेट कैफे/कम्प्यूटर केन्द्र

कैसे उपयोग करें

"www.mpkrishi.org" पर जाकर आवश्यक जानकारी हेतु, संबंधित लिंक क्लिक करें।

2. **कृषि में सूचना प्रोद्यौगिकी योजना** – राज्य पोषित इस येाजनान्तर्गत कृषि सूचना केंद्र का संचालन हेतु दो दिन के कृषक प्रशिक्षण का आयोजन विभागीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य किसान भाइयों को वर्तमान में उपलब्ध सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवीन कृषि तकनीकी तक पहुंच बनाने हेतु क्षमता का विकास करना है।

3. राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट्स –योजना के माध्यम से ु प्रदेश में प्रादेशिक किसान काल सेंटर की स्थापना, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का प्रारंभ एवं राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में आई.टी. लेब की स्थापना प्रमुख रूप से की गई है।

4. **कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना –** चयनित 12 सेवाओं का प्रदाय पोर्टल के माध्यम से कृषकों को किया जाना है। किसान भाई इस योजनान्तर्गत बीज, खाद एवं दवा की उपलब्धता, मौसम पूर्वानुमान, मंडी भाव, कृषि योजनाएं, एकीकृत फसल प्रबंधन, गुण नियंत्रण, सिंचाई, जैविक खेती, प्राकृतिक आपदाएं, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य, उद्यानिकी, मछली पालन एवं पशु पालन आदि से संबंधित जानकारी पोर्टल पर एवं एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त कर सकेगें, साथ ही विभिन्न येाजनाओं में आवेदन के निराकरण की स्थिति तथा समस्या समाधान भी प्राप्त कर सकेगें।

(10) तिलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)

इस योजना का उद्देश्य केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन तथा मक्का का उत्पादकता बढ़ाना है । पात्र हितग्राही सभी श्रेणी के कृषक होंगे। हितग्राही का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्राप्त ग्राम सभा की कृषि स्थाई समिति के अनुमोदन अनुसार किया जाता है । घटकवार अनुदान की सीमायें निम्नानुसार हैं

बीज :–

अ. प्रजनक बीज खरीदी पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत का 100 प्रतिशत

ब. आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु सोयाबीन फसल पर सामान्य जाति के कृषकोंके लिये रू 700 प्रति क्विंटल तथा अनुसूचित जाति/ अनसूचित जन जाति के कृषकों के लिये रू200 अतिरिक्त इस प्रकार कुल 900 रूपये प्रतिक्विंटल तथा अन्य तिलहन फसलों एवं मक्का पर रू 1000 प्रति क्विंटल अनुदान देय है

स. प्रमाणित बीज वितरण में सोयाबीन को छोड़कर शेष तिलहनी फसलों व मक्का पर रू 1200/–प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

2.**बीज मिनिकिट** निशुल्क दिये जायेगें।

3.**पौध संरक्षण**

(अ.) पौध संरक्षण औषधी वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो

(ब.) नींदानाशक दवा कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू.500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

4. पौध संरक्षण यंत्र

1. हस्त चलित कीमत का 50 प्रतिशत या रू.800/– प्रति यंत्र जो भी कम हो

2. शक्ति चलित यंत्र कीमत का 50 प्रतिशत या 2000 रूपये प्रकित यंत्र जो भी कम हो

5. पोषण प्रबंधन कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 500, जो भी कम हो।

अ. राइजोबियम कल्चर/पी. एस.बीकीमत का 50 प्रतिशत या रू. 100/– प्रति है. जो भी कम हो।

ब. जिप्सम/पायराइट/ डोलोमाइट वितरण कीमत का 50 प्रतिशत या रूपये 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

6.प्रदर्शन

अ. ब्लाक प्रदर्शन

सोयाबीन – 3000 रू प्रति हेक्टर

सरसों – 2000 रू प्रति हेक्टर

मक्का –4000 रू प्रति हेक्टर

ब. आई.पी.एम. प्रदर्शन

सोयाबीन :– अधिकतम 428/ रूपये प्रति हैक्टर।

मूंगफली :– अधिकतम 1627.50/– रूपये प्रति हैक्टर।

सूरजमुखीः– अधिकतम 1230/– रूपये प्रति हेक्टर

सरसों :– अधिकतम 930/– रूपये प्रति हैक्टर।

मक्काः– अधिकतम 1480/– रूपये प्रति हेक्टर

7. सिंचाई

(अ.) स्प्रिंकलर सेट वितरण कीमत का 50 प्रतिशत या 7500/– रूपये प्रति सेट जो भी

कम हो।

(ब.) सिंचाई स्त्रोत से खेत तक पानी की सुविधा हेतु पाइप लाइन कीमत का 50 प्रतिशत या रूपये 15000/– सेट 800 मीटर पाइप सभी प्रकार (पी व्ही सी एच डी पी ई पाईप) एवं सभी आकार के पाइप पर ।

(स) रेनगन कीमत का 50 प्रतिशत या रूपये 6000/– जो भी कम हो।

8. उन्नत कृषि यंत्र

अ. हस्त/बैल चलित यंत्र कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 2500/–प्रति यंत्र जो भी कम हो

ब.. शक्ति चलित कीमत का 50 प्रतिशत या रू.15000/–प्रति यंत्र जो भी कम हो

9. टॉपअप अनुदान – स्प्रिंकलर एवं रेनगन

राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये टाप अनुदान विशेष सहायता के रूप में दिया जा रहा है यह वास्तविक अनुदान के अतिरिक्त है स्प्रेकलर सेट पर 30 प्रतिशया अधिकतम रूपये 4500 प्रति सेट तथा रेन गन पर 30 प्रतिशत अथवा रूपये 3600 प्रति सेट जो भी कम हो अनुदान देय है

(11) मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (मापवा)

उद्देश्य महिला कृषकों के जीवनयापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों में महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजनान्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं।

योजना का स्वरूप महिलाओं के लिये बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसरण भ्रमण, समूह गठन प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, विशेष प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

दिशा निर्देश योजना की विस्तृत जानकारी के लिये दिशा निर्देश जिला कलेक्टर, कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला उप संचालक कृषि के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

पात्र हितग्राही सभी वर्ग की महिला कृषक।

हितग्राही चयन की प्रकिया एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिये 25 कृषक महिलाओं का चयन हेतु सामान्य,

लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे कृषि योग्य

भूमि सिंचाई के साधन, पशुधन आदि सूचकों को आधार

मानकर किया जावेगा।

योजना का क्रियान्वयन येाजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जिले के उप संचालक

कृषि कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि को नोडल अधिकारी (मापवा) नामांकित किया गया है। योजना का कार्य जिले में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (विशेष रूप से महिला अधिकारी) द्वारा किया जाएगा।

(12) नलकूप खनन (लघु सिंचाई)

इस योजना का क्रियान्वयन केवल भू जल के दृष्टिकोण से सुरक्षित विकास खंडों में किया जाता है वर्तमान में उज्जैन जिले में केवल तराना विकास खंड सुरक्षित होने के कारण इसी विकासखंड में योजना संचालित हो रही है ।

इस योजना में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के लिये सफल/असफल नलकूप खनन पर खनन की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 25,000, जो भी कम हो अनुदान देय। सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू.15000, जो भी कम हो अनुदान देय है ।

(13) मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम

मिट्टी में पाये जाने वाले प्रमुख एवं सूक्ष्म तत्व न केवल उत्पादन वृद्धि को प्रभावित करते हैं बल्कि कई प्रकार के पादप रोगों को भी नियंत्रण करते हैं। इन तत्वों की मृदा में उपस्थित मात्रा की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा की जाकर उपयुक्त अनुशंसायें कृषकों को प्रेषित की जाती हैं।

मिट्टी परीक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका प्रभाव फसल उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसके महत्व को देखते हुये जिले में एक यह प्रयोगशाला उपलब्ध है । प्रयोगशालाओं में मुख्य तत्व नत्रजन ;छद्धए स्फुर ;च्द्धए पोटाश ;ज्ञद्ध, सूक्ष्म तत्व जिंक, कापर, मैंगनीज एवं आयरन तत्वों के विश्लेषण मृदा की अम्लता एवं क्षारता तथा विद्युत चालकता ज्ञात करने की सुविधा है।

निर्धारित शुल्क

मुख्य तत्व विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये 5 रूपये प्रति नमूना, तथा अ.जा./अ. ज. जा. कृषकों के लिये 3 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व विश्लेषण के लिये सामान्य कृषकों के लिये 40 रूपये प्रति नमूना तथा अ. जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 30 रूपये प्रति नमूना की दर निर्धारित है।

विशेष कार्यक्रम

प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें कृषक द्वारा मिट्टी परीक्षण हेतु बारम्बार प्रस्तुत मिट्टी नमूनों के विशलेषण की जानकारी उपलब्ध रहती है।

(14) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

अधिसूचित फसलें खरीफ–धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला।

रबी–गेहूँ (सिंचित/असिंचित), चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज, एवं आलू।

बीमा हेतु पात्र कृषक सभी अधिसूचित फसलों के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिये योजना में शामिल होना अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है।

दावा आकलन की इकाई

वर्ष **खरीफ** 2006 से चुनी गई प्रमुख 4 फसलें धान सिंचित, धान असिचिंत, सोयाबीन एवं तुअर, खरीफ वर्ष 2007 से बाजरा, मक्का फसल भी शामिल की गई है। जिसकी निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है।

शेष फसलों जैसे कोदो, कुटकी, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और केला के लिये निर्धारित इकाई तहसील को रखा गया है।

वर्ष **रबी 2006–07** से चुनी गई 4 प्रमुख फसलें गेंहं ू सिंचिंत, गेंहूं असिचिंत, चना, एवं राई सरसों निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है।

शेष फसलें जैसे अलसी, प्याज एवं आलू के लिये तहसील ही इकाई ही यथावत है।

(15) बलराम ताल योजना

इस योजना का उद्देश्य कृषि के समग्र विकास के लिये सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है । इस योजना के लिये समस्त वर्ग के कृषक (मात्र एक ताल के लिये अनुदान हेतु पात्र हितग्राही है। हितग्राही चयन प्रकिया इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिये गये आवेदन के पंजीयन अनुसार। बलराम ताल की स्वीकृति ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जाएगी।अनुदान प्राप्त करने की वरीयता ताल निर्माण होने पर प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

अनुदान का प्रावधान एवं पात्रता

सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/–

लघु सीमांत कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 1,00,000/–

(16) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उपयोजनायें

अ. आर ए डी पी उपयोजना

इस योजना के तहत दो प्रकार की गतिविधियां संपादित की जाती है

1. फसल चक्र हेतु अनुदान

कृषकों के द्वारा उचित फसल चक्र अपनाये जाने पर विभिन्न फसलों हेतु शासन द्वारा निर्धारित लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

2. छोटे तालाबों का निर्माण :

इस योजना के अंतर्गत कृषकों के खेतों में छोटे तालाबों का निर्माण कराया जाता है और तालाबों में प्लास्टिक लायनिंग करने का प्रावधान भी है । इस हेतु 20 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर गहरे तालाब बनाये जाने पर खुदाई कार्य हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 हजार तथा प्लास्टिक लायनिंग कराने का भी 50 प्रतिशत अधिकतम 20 हजार दिये जाने का प्रावधान है ं।

ब. पल्स 60000 ग्राम उपयोजना

इस योजना के तहत भी 20 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर गहरे तालाब बनाये जाने पर खुदाई कार्य हेतु लागत का शत प्रतिशत अधिकतम 80 हजार तथा प्लास्टिक लायनिंग कराने का भी 50 प्रतिशत अधिकतम 20 हजार दिये जाने का प्रावधान है ं।

(17) हलधर योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)–

अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी भूमि की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500 प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तथा सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते है । गहरी जुताई शासकीय तथा प्रायवेट किसी भी ट्रेक्टर से कराई जा सकती है । योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम के ग्रामीण कृषि विसतार अधिकारी से सम्पर्क करें ।

(18)विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)

भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अंश की सहायता से संचालित विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) के अन्तर्गत कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तानांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है । योजना का कार्यक्षेत्र प्रदेश के समस्त जिले है ।

योजनान्तर्गत मुख्य रूप से राज्य के बाहर, राज्य के अन्दर एवं जिले के अंदर कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदर्शन कृषक संगोष्ठी कृषि विज्ञान मेले फार्म स्कूल गतिविधियों का संचालन किया जाता है । कृषक समूहों जैसे– कृषक रूचि समूह, महिला समूह, किसान संगठन, जिन्स आधारित समूह, कृषक सहकारी संगठन आदि का गठन भी किया जाता है ।

योजना में उत्कृष्ट कृषि समूहों एवं कृषकों को पुरस्कृत करना, किसान –वैज्ञानिक–विस्तार कार्यकर्ता जिला स्तरीय चर्चा, प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन, खंड स्तरीय सूचना एवं सलाह केन्द्र की स्थापना आदि के माध्यम से नवीन तकनीकी का प्रचार–प्रसार तथा हस्तांतरण किया जाता है ।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के द्वारा – फार्म स्कूल प्रदर्शन, कृषक भ्रमण, कृषक प्रशिक्षण तथा समूहों का क्षमता विकास अदि विस्तार कार्य भी योजना में सम्मिलित है ।

'आत्मा' अन्तर्गत कृषक मित्रों का चयन सभी 50 जिलों में किया जाकर, कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है । प्रशिक्षण पश्चात् कृषक मित्रों को विस्तार कार्य हेतु विभाग व कृषकों के बीच कड़ी के रूप में उपयोग किया जायेगा ।

(19) राष्ट्रीय जलग्रहरण क्षेत्र विकास योजना

जलग्रहण क्षेत्र के हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना योजना का मुख्य उद्देश्य है । योजना अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में अनुमानित 500 हेक्टर वर्षा आधारित क्षेत्र के एक–एक माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र का चयन किया जाता

है । यह योजना भारत सरकार के 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 10 प्रतिशत सहयोग से चालाई जा रही है ।

योजना में लघु, सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों के स्व–सहायता समूहों का गठन कर कृषि एवं ग्रामोद्योग इकाई के लिये भी सहायकता दिये जाने का प्रावधान है ।

पानी की बूंद और माटी के कण

मुट्ठी में बांधों आशाओं की किरण

(20) कृषि शक्ति योजना

(अ) कर्मशाला सीपना हेतु सहायता– आई टी आई प्रशिक्षित आवेदकों को कृषि यंत्र निर्माण एवं सुधार हेतु कर्मशाला स्थापित करने के लिये मशीनों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है । विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिये संभागीय कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से सम्पर्क करें ।

(ब) पावर टिलर के क्रय पर टॉपअप अनुदान– पावर अिलर के क्रय पर मेक्रोमैनेजमेंट योजनान्तर्गत देय 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 45000 के अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत अधिकतम रू 30000 तक का टॉपअप अनुदान दिया जाता है । योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषकों के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

राज्य योजनाऐं

1. फल विकास कार्यक्रम

उद्देश्य – इस योजना के तहत कृशक को निजी भूमि पर अधिकतम 2.000 हैक्टर तथा न्यूनतम 0.25 हैक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है ।

अनुदान – योजना के तहत नाबार्ड द्वारा प्रति हैक्टर अमरूद की खेती करने पर निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । जो कृशक ऋण लेना नहीं चाहते उन्हें विभागीय योजना के तहत अमरूद का बगीचा लगाने पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत पर प्रति हैक्टर 25 प्रतिशत अनुदान देय है । योजना में 75 प्रतिशत पौध

जीवितता के आधार पर 5 किस्तों में 5 वर्शा तक रूपये 10,200 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

2. टापवर्किंग कार्यक्रम–इस कार्यक्रम के तहत चयनित हितग्राहियों के फलवृक्षों में टापवर्किंग का कार्य प्रशिक्षित युवकों द्वारा किया जाता है तथा सफल होने पर षासन द्वारा प्रशिक्षित युवकों को प्रति वृक्ष 10/– रुपयें पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है ।

3. प्रदर्शन एवं मिनीकिट – इस योजना के क्रियान्वयन में लघु सीमांत अ.जाति/अ.ज. जाति के हितग्राहियों को एवं उद्यानिकी से जुड़े अल्पसंख्यक समुदाय के कृशकों एवं महिला हितग्राही कृशकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

- S प्रदर्शन/ मिनीकिट में आदान सामग्री (रुपये 100/– बीज वाले एवं रुपये 550 कंद वाली सब्जी के बीज, बीजोपचार दवा) विभाग द्वारा निशुल्क दी जाती है ।

नई प्रजाति के उन्नत/संकर बीज/पौधों/बीजोपचार दवा कृशकों को निःशुल्क एवं पुश्प औशधी, मसाला आदि के बीज पौधों के मिनीकिट/ प्रदर्शन दिये जाते हैं

S कृशक के खेतों पर 400 वर्गमीटर या फसल विशेश के लिए क्षेत्रफल में मिनीकिट/प्रदर्शन का आयोजन किया जावेगा ।

S हितग्राहियों के पास सिंचाई का साधन होना आवश्यक है।

4. बाडी कार्यक्रम – योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को रुपये 50/– के निःशुल्क उन्नत किस्म के सब्जी बीज पैकेट वितरित किये जाने का प्रावधान है ।

5. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना –यह योजना वर्श 2011–12 से जिला पंचायतों के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में क्रियान्वित की जायेगी ।

उद्देश्य –

S कृशक को अधिकतम दो हैक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है जिसकी न्यूनतम सीमा 0.10 हैक्टर है । अधिकतम दो हैक्टर की सीमा तक कृशक को खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।

S किस जिले के लिए कौन–कौन सी सब्जी फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा, यह निर्णय जिला स्तर की अनुशंसा पर राज्य स्तरीय कमेटी करेगी ।

अनुदान –

- S सामान्य, अ.जाति, अ.ज.जाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत/संकर सब्जी उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12500/– रुपये प्रति हैक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा ।

कंद वाली व्यवसायिक फसल – आलू, अरबी फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25000/– रुपये अनुदान देय होगा ।

6. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना –

उद्देश्य – यह योजना वर्श 2011–12 में जिला पंचायतों के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में क्रियान्वित की जा रही है ।

ऽ कृशक को अधिकतम 2 हैक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है जिसकी न्यूनतम सीमा 0.10 हैक्टर है । अधिकतम दो हैक्टर की सीमा तक कृशक को खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा ।

ऽ किस जिले के लिए कौन–कौन सी मसाला फसलों को बढ़ावा दिया जावेगा, यह निर्णय संचालनालय स्तर पर गठित कमेटी करेगी ।

अनुदान –

ऽ सामान्य, अ.जाति, अ.ज.जाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत/संकर मसाला उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12500/– रुपये प्रति हैक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा ।

ऽ कंद वाली व्यवसायिक फसल – हल्दी, अदरक, लहसुन फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25000/– रुपये अनुदान देय होगा ।

7. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

अनुदान – राश्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 1.50 लाख तक का अनुदान देय होगा ।

पशुपालन विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी

1. **समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम(अनुदान पर प्रजनन योग्य मूर्रा पाडा प्रदाय)–** जिले के सुदूर अंचलों में जहां कृत्रिम गर्भाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्र में अधिक दुग्ध उत्पादक नस्लों को बढ़ावा देने हेतु उननत नसल के मूर्रा पाउे पशु पालकों को प्रदाय किये जाते है जिससे स्थानीय पशुपालक उन्नत प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा प्राप्त कर अपने मादा पशु से अधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल पैदा कर समग्र दुग्ध उत्पादन में अपना योगदान देकर आर्थिक उननति प्राप्त कर सके । योजना की इकाई लागत 22000 रूपये है । इसमें 4400/– हितग्राही अंशदान एवं रूपये 17600/– विभागीय अनुदान प्रदाय किया जाता है ।
2. **नंदीशाला योजना (अनुदान पर गौसांड प्रदाय)**– ग्रामीण क्षेत्रों में नस्ल सुधार हेतु पशुपालकों को अनुदान पर गौ–नस्ल के सांडों का प्रदाय कर गौ–वंशीय देशी नस्ल का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास करना । नंदीशाला योजना अन्तर्गत गौ–सांड की संशोधित इकाई लागत राशि रूपये 17500/– है । इसमें 3500/– हितग्राही अंशदान एवं रूपये 14000/– विभागीय अनुदान प्रदाय किया जाता है ।

3. **बैंक ऋण एवं अनुदान पर संकर गाय या ग्रेडेड मुर्रा भैंस प्रदाय (3)–** इस योजना अन्तर्गत अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु उत्पन्न नस्ल को बढ़ावा देना है । संकर गाय का ग्रेडेड मुर्रा भैंस (3) की इकाई पशुपालको को प्रदाय की जाती है । इकाई लागत 3 ग्रेडेड मुर्रा 105000/–

   हितग्राही अंशदान – 10500/– (10 प्रतिशत)

   विभागीय अनुदान राशि – अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 34650/– (33:)

   सामान्य –अन्य पिछड़ा वर्ग 26250/– (25:)

   बैंक ऋण राशि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 59850/–

   सामान्य –अन्य पिछड़ा वर्ग 68250/–

4. **वत्स पालन प्रोत्साहन योजना**–देशी गौवंश सुदृढ़ीकरण एवं संरक्षण हेतु दुधारू गायो का पालन, प्रोत्साहन हेतु समस्त वर्ग के हितग्राहियों हेतु योजना लागू है–

   इकाई लागत 17000/–

   गाय हेतु प्रोत्साहन राशि 5000/–

   गोवत्स बछडे–बछिया 500/– रूपये प्रतिमाह 24 माह तक रूपये 12000/–

5. **चारा विकास कार्यक्रम** – पशुओं में दुग्ध उत्पादन एवं पौष्टिकता के लिये विभाग द्वारा बरसीम–मक्का–लुसर्न/ज्वार आदि मिनिकिट्स शतप्रतिशत अनुदान पर पशु पालकों को हराचारा उत्पादन हेतु प्रदाय किये जाते है ।

कुक्कुट विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाऐं

अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई

उद्देश्यः हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार

योजना – अनु.जाति/जनजाति

योजना इकाई – इस योजना में बिना लिग भेद के 15 दिवसीय 65 चूजे, खाद्यान औशधीय एवं परिवहन सहित प्रदान किये जाते है ।

इकाई लागत – रू. 1500.00

अनुदान – अनु.जाति/जनजाति वर्ग के लिए 80 प्रतिशत

हितग्राही अंशदान – 20 प्रतिशत

संपर्क– संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औशधालय प्रभारी

मत्स्य पालन विभाग की योजनाऐं

म.प्र. में मत्स्य उद्योग उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है । ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन बेरोजगारी दूर करने का सशक्त माध्यम है जिसे कम समय एवं कम लागत में अधिक आय देने वाले व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है ।

जिले में मत्स्य उद्योग विकास के साथ–साथ मछुआ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को तकनीकी जानकारी तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु एवं उनके कल्याणार्थ म.प्र. शासन मछली पालन विभाग में निम्नलिखित योजनाऐं प्रचलन में है ।

क्र.	योजना कार्यक्रम	सुविधाए				
		वर्ग	**प्रयोजन**	**ऋण**	**अनुदान की सीमा**	
1	**मछुआ सहकारिता**	सामान्य समिति	नाव, जाल, डोंगा, पट्टा राशि, तालाब, मत्स्य बीज की खरीद, हिस्सा पूंजी	–	2500/–	पट्टा अवधि में
		अ.जा./ अ.ज. जा. की समिति			150000/–	पट्टा अवधि में
2	**मत्स्य पालन प्रसार**	अ.जा./अ.ज.जा. के मत्स्यपालक	नाव, जाल, डोंगा, तालाब, पट्टा राशि, मत्स्यबीज की खरीद, हिस्सा पूंजी		15000/–	पट्टा अवधि में
	जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास	सभी वर्ग के मत्स्य पालक एवं समितियों को तालाब/जलाशय का पट्टा आवंटन	1000 हैक्टर औसत जल क्षेत्र के तालाब पट्टा आवंटन		जलाशयों में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु अधोसंरचना का विकास	
	मत्स्यबीज उत्पादन	निजी मत्स्य बीज उत्पादक			रुपये 100000/–	

क्र.	योजना कार्यक्रम	सुविधाए				
		वर्ग	**प्रयोजन**	**ऋण**	**अनुदान की सीमा**	
		को बैंक ऋण से हैचरी निर्माण पर			एक बार	
	शिक्षण और प्रशिक्षण	सभी वर्ग हेतु	मत्स्य पालको को 15 दिवसीय विभागीय प्रशिक्षण		1250/–	व्यय सीमांकित
२	**केन्द्र प्रवर्तित योजनाय**					
	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	सभी वर्ग हेतु	18 से 70 वर्श की आयु के सक्रिय मछुओं का निःशुल्क बीमा	रुपये 29/– मात्र वार्शिक प्रीमियम का विभाग एवं केन्द्र षासन द्वारा वहन		
	बचत–सह–राहत	सभी वर्ग हेतु	बन्द ऋतु की अवधि में आर्थिक सहायता	प्रदेश की मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 8 माह तक उनके हिस्से की निर्धारित राशि रुपये 50 सतत् रूप से पोस्ट आफिस या बैंक में जमा करने पर रुपये 1200 भुगतान किया जाता है ।		
	मछुआ आवास गृहों का निर्माण	सभी वर्ग हेतु	निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना	योजनांतर्गत सक्रिय मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को निःशुल्क आवास गृहों को उपलब्ध कराना प्रति आवास निर्माण लागत रुपये 0.50 लाख (50 प्रतिशत केन्द्र तथा 50 प्रतिशत राज्य का हिस्सा)		

क्र.	योजना कार्यक्रम	सुविधाए				
		वर्ग	प्रयोजन	ऋण	अनुदान की सीमा	
	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	सभी वर्ग हेतु	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण की योजना	रुपये 3.00 लाख प्रति हैक्टर लागत का सामान्य–20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 60000 प्रति हैक्टर अनु.जाति/जनजाति–25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 75000) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)		
			तालाबों का पुर्नद्धार/सुधार	रुपये 75000 प्रति हैक्टर लागत का सामान्य–20प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 15000 प्रति हैक्टर अनु.जाति/जनजाति– 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 18750) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)		
			प्रथम वर्ष इनपुट्स मत्स्य बीज, आहार, खाद उर्वरक एवं मत्स्य रोगों के उपचार हेतु औशधि (मत्स्य कृशकों को केवल एक बार देय अनुदान)	रुपये 50000 प्रति हैक्टर लागत का सामान्य–20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 10000) प्रति हैक्टर अनु.जाति/जनजाति–25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 12500) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)		

क्र.	योजना कार्यक्रम	सुविधाए				
		वर्ग	प्रयोजन	ऋण	अनुदान की सीमा	
			फ्रैश वाटर फिश सीड हैचरी	मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन फ्राई क्षमता वाले एक मत्स्य बीज हैचरी के लिए रुपये 12.00 लाख लागत का – सभी श्रेणी के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 1.20 लाख) अनुदान देने का प्रावधान है ।	
			फिश फीड यूनिट	छोटी इकाईयां– यूनिट कास्ट रुपये 7.5 लाख जिसकी क्षमता 1.2 क्विं/प्रति दिन हों अनुदान / 20 प्रतिशत के साथ अधिकतम सीमा रुपये 1.5 लाख प्रति यूनिट उद्यमियों के लिए ।	